नैक (NAAC) द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997] क्रमांक के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

हिंदी विश्वविद्यालयात संविधान दिवस पर 'संविधान की नैतिकता' पर हुई चर्चा

नैतिकता के सूत्र से संविधान है मजबूत – एड. रविशंकर मोर

वर्धा, 25 नवंबर 2018: संविधान हमारे देश का आईना है। संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहब अंबेडकर ने संविधान में नैतिकता के सूत्रों को महत्व दिया है जिससे संविधान मजबूत हुआ है। उन्होंने देश की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत विचारों को दूर रखकर बहुलतावादी देश को एकसंध बनाए रखने के लिए प्रयास किये हैं। उक्त विचार वर्धा स्थित यशवंत महाविद्यालय के विधि विभाग के अध्यक्ष डॉ. रविशंकर मोर ने व्यक्त किये। वें महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में संविधान दिवस पर सोमवार 26 नवंबर को विश्वविद्यालय के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकादमिक भवन के सभागार में 'संविधान की नैतिकता' विषय

पर आयोजित चर्चा में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विवि के कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र ने की। इस अवसर पर मंच पर कार्यकारी कुलसचिव प्रो. के. के. सिंह, विधि विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष प्रो. मनोज कुमार, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर एवं डॉ. एम. एल. कासारे उपस्थित थे।

विश्वविद्यालय में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान की नैतिकता विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान के पहले कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र, एड. रविशंकर मोर, डॉ. एम. एल. कासारे आदि द्वारा प्रशासनिक भवन में संविधान की उद्देशिका और डॉ. बाबासाहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया गया।

अपने उदबोधन में एड. मोर ने संविधान में निहित नैतिकता के तत्वों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संविधान में समता, समानता और भाईचारा आदि मूल्यों का पुरस्कार किया हैं और भारत जैसे बहुभाषी, बहु-सांस्कृतिक देश को एक सूत्र में बांध के रखा है। संविधान की नैतिकता के सूत्र डॉ. अंबेडकर

ने जॉर्ज ग्रोथ के सिद्धांतों से लिए हैं और इन सिद्धांतों के चलते ही निर्णय प्रक्रिया अपनायी जाती है। उन्होंने कहा कि जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया

गया है जिसकी वजह से कोई भी संस्था अपने निर्णय को थोप नहीं सकती। देश के सूचारु संचालन के लिए संविधान में चेक एण्ड बैलेंस का सूत्र भी महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया गया है।

अध्यक्षीय उदबोधन में कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र ने कहा कि संविधान की नैतिकता जनतंत्र का स्वास्थ्य निर्धारित करती है। संविधान के 70 वर्ष की परीक्षाओं में हम उत्तीर्ण हुए हैं, यह हमारे संविधान की

विशेषता और खूबी है। उन्होंने कहा कि देश, समाज और व्यक्ति को अधिक मजबूत करने के लिए संविधान साक्षरता आवश्यक है। एक सचेत देश और समाज के लिए संविधान साक्षरता बढ़ाने की दिशा में

विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम चलाए जाने का सुझाव प्रो. मिश्र ने दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर एक पुस्तिका तैयार कर संविधान साक्षरता का अभियान चलाया जाएगा।

डॉ. एम. एल. कासारे ने कहा कि संविधान से जनतंत्र मजबूत हुआ है। संविधान को आचरण में लाना ही संविधान की नैतिकता है। कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य प्रो. मनोज कुमार ने दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में निहित प्रावधानों के प्रति हमें अधिक जागरूक होना चाहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन जनसंपर्क अधिकारी बी. एस. मिरगे ने किया तथा आभार ज्ञापन कार्यकारी कुलसचिव प्रो. के. के. सिंह ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारियों सहित संकाय अनुप्रेरणा कार्यक्रम में शामिल देशभर के अध्यापक, विवि के शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।